मेल करें।

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सामान्य/10/2018/ 27910-28015 दिनांक : 02-8-2019

परिपत्र

यह ध्यान में आया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विभाग का प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र में चाहा जाता है, जो कि एक निर्धारित कार्य है। महानिदेशालय कारागार, जयपुर द्वारा समस्त केन्द्रीय कारागृहो से उनकी एवं उनके अधीनस्थ कारागृहों सहित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर चाहे जाने हेतु बार-बार सूचित किये जाने के उपरान्त भी सूचना विलम्ब से इस कार्यालय को भिजवाई जाती है।

राज्य सरकार से विभाग का प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर भिजवाने हेतु विभाग को बार-बार स्मरण पत्र जारी किये जाते है। केन्द्रीय कारागृहों से प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन संबंधी सूचना विलम्ब से तैयार कर महानिदेशालय कारागार को प्रेषित की जाती है, जिससे विभाग का प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। राज्य सरकार को प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन विलम्ब से भिजवाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा इसे गम्भीरता से लिया जाता है।

अतः समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी एवं अपने अधीनस्थ कारागृहो से सभी प्रकार की सूचना मासिक/त्रैमासिक संकलित किये जाने की व्यवस्था की जावे। कारागार विभाग का प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार किये जाने संबंधी सूचना त्रैमासिक अधीनस्थ कारागृहो से प्राप्त कर संकलित की जावे। महानिदेशालय कारागार द्वारा प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन की सूचना निर्धारित प्रपत्र में चाहे जाने पर पूर्ण सूचना तैयार कर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
उक्त परिपत्र की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

(एन.आर.के.रेड्डी)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
3. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान को पालनार्थ।
4. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
5. अधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
6. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजस्थान।
9. समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान।
10. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल को वास्ते विभागीय साईट पर अपलोड हेतु।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर